आर टी आई मामला/अति तत्काल

सं. 14036/346/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 28|05| 2013

सेवा में

श्री एम एस राजपूत
निवासी एच-286 गांव व डाकखाना - उजवा
नई दिल्ली - 110073

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपका दिनांक 23.4.2013 का आवेदन।

महोदय

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में अस्पष्ट प्रश्न पूछे गए हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत 'सूचना' की परिभाषा में नहीं आते हैं। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत इस मंत्रालय के दिनांक 15.04.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित कर दी गई है और अत: आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है ताकि उनके द्वारा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के. के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

Issued with encl.
1498/1499
5/6

भवदीया
(श्रीमती एस सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी.पी.-II)
दूरभाष : 23092856

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - आर टी आई आवेदन की एक प्रति, अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को भेजने के अनुरोध के साथ संलग्न है। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

The Bharat Nav Nirman
Charitable Trust

A MOVEMENT AGAINST CRIME & CORRUPTION

R. No.4655DL

REGD. BY : GOVT. OF INDIA & NCT OF DELHI

9891252124, 9013353814, 9250930091 E-mail : thebharatnavnirman13@gmail.com

---

2561/RTI/2013
25/4/13

Ref. T.BNNCT/203/2013. Date 23/04/2013.

सेवा में

माननीय जन सुचना अधिकारी महोदय

माननीय सुशील कुमार शिंदे जी महोदय

गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र।

आवेदक: एम० एस० राजपुत उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश ।

विषय: दिनांक 7/1/2013 शिकायत पत्र संख्या SKP/134/2013 व दिनांक 4/03/2013, शिकायत पत्र संख्या SKP/134/2013 तथा दिनांक 4/03/2013 शिकायत पत्र संख्या SKP/134/2013 व दिनांक 4/03/2013 की शिकायत पत्र संख्या SKP/134/2013 को

महोदय शिकायतो पर कार्यवाही के बारे जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

इस उपरोक्त शिकायतों पर आपके कार्यालय द्वारा इन शिकायतों पर आपके कार्यालय द्वारा आवेदक को जानकारी क्यों नही दी गई तथा इन शिकायतों पर निर्धारित जांच अधिकारियो द्वारा क्या - क्या कार्यवाही की जा रही है। इस शिकायत के विषय में हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहतें है आवेदन पत्र के साथ शिकायत पत्र सलग्ंन हैं अवलोकन करें।

1 अभी तक इन शिकायतों पर आपके कार्यालय की तरफ से क्या कार्यवाही हुई है तथा कार्यवाही किस स्तर पर है इसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जायें।

2 रेस्टोरेन्ट वाह जी वाह पर जल बरामद सिलेंडर पुलिस के हवाले कर दिये जाने पर I.O द्वारा FIR. दर्ज क्यों नही की गई क्यो आरोपी वाह जी वाह रेस्टोरेन्ट मालिक का बचाव किया गया और रेस्टोरेन्ट मालिक के सहयोगी पत्रकारो द्वारा आवेदक को झूठी न्यूज चलाने व झूठे केस में फसवा देने की धमकी 100 न० पर देने के बाद भी आज तक FIR. दर्ज क्यो नही की गई इसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाये। तथा इस शिकायत पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रोग्रेस रिपोर्ट की प्रमाणित छाया कापी दी जाये।

3 उपरोक्त शिकायतों पर दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग द्वारा की गई सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण जानकारी इन शिकायतों से संम्बधित की गई कार्यवाही कार्यवाही की प्रमाणित छायाकापी दी जायें।

4 शिकायत कर्ता की शिकायत से संम्बधित तमाम उच्च अधिकारीयों द्वारा सभी निर्देशित आदेश जो कार्यावाही के लियें आपके कार्यालय को प्राप्त हुए है उन सभी की प्रमाणित छाया कापी दी जायें।

5 वन्दना गैस एजेंसी के फर्जी कर्मचारीयों के साथ 19 सिलेंडरों के साथ 100 नं० पर काल करके P.S. राजौरी गार्डन के हेड कान्स्टेबल उमेद सिंह के हवाले करने के बाद वन्दना गैस एजेंसी के मैनेजर द्वारा अपनी गलती को मानते हुये अपने वन्दना गैस एजेंसी के लेटर पेड पर मांगा गया माफी नामा जो शिकायत पत्र के साथ आपके कार्यालय को भी दिया गया था वे सब सबूतों के साथ शिकायत पत्र देने के बाद

6 भी अभी तक वन्दना गैस एजेंसी के फर्जी कर्मचारीयों व फर्जी कर्मचारियों को सहयोग व कालाबाजारी करने वाली गैस एजेंसी के खिलाफ अभी तक F.I.R दर्ज क्यों नहीं की गई क्या अधिकारीयों को दिये गये सबूत भी नजर आते क्यो अधिकारी आरोपीयों व आरोपीयो का सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारी की मदद करते है। इसलिये आज भ्रष्टाचार का बोल बाला है। इसी लिये शिकायत देने

7 के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं होती इसका जवाब भी दिया जाये।

6. हिमाचल स्वीट्स से बरामद करए गये घरेलू सिलेंडरों को पुलिस के हवाले करने के बाद भी P.S. इन्द्रपुरी के हेड कान्स्टेबल महावीर सिंह हिमाचल स्वीट्स के मालिक का बचाव व संरक्षण किया शिकायत के बाद भी छोड़ दिया गया होटल मालिक को क्यों।

नोट : माननीय महोदय से आग्रह है की कप्या जानकारी हिन्दी में दी जायें।

आवेदन शुल्क 10 रूपये का पोस्टल आर्डर न0.................... सलग्न है।

आवेदक [signature]

एम0एस0 राजपूत

उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश

दी भारत नव निर्माण चेरिटेबल ट्रस्ट

पता: H-286 गांव व पोस्ट ऑफिस उजवा नई दिल्ली 73.

मो0 09891252124